भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

वित्तीय सेवाएं विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 187

जिसका उत्तर 18 जुलाई, 2022/27 आषाढ़, 1944 (शक) को दिया गया

एनपीएस पर नकारात्मक प्रतिलाभ

187. श्री राजा अमेरेश्वर नाईक:
श्री भोला सिंह:
श्री राजवीर सिंह (राजू भैय्या):
श्री विनोद कुमार सोनकर:
डॉ. सुकान्त मजूमदार:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि नई पेंशन योजना (एनपीएस) ने इस वित्तीय वर्ष में अपनी राशि पर नकारात्मक प्रतिलाभ दिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि अनिश्चितता और उनकी पेंशन की राशि में कमी के कारण सरकारी कर्मचारियों में भारी रोष और अशांति है और यदि हां, तो इस संबंध में क्या उपचारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार को एनपीएस के निधि प्रबंधकों के विरुद्ध एनपीएस में भ्रष्टाचार/कदाचार के संबंध में शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है;

(घ) क्या सरकार केंद्र सरकार की श्रेणी के एनपीएस अंशधारकों को न्यूनतम पेंशन की गारंटी देने के लिए एक तंत्र बनाने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा अन्य क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

उत्तर

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. भागवत कराड)

(क) और (ख): पेंशन एक दीर्घकालिक वित्तीय उत्पाद है और इसके कार्यनिष्पादन और प्रतिलाभ का आकलन दीर्घावधि आधार पर किया जाता है। एनपीएस पर प्रतिलाभ बाजार द्वारा निर्धारित होता है और पीएफआरडी द्वारा इसका वार्षिक आधार पर मूल्यांकन किया जाता है । प्रतिलाभ के आधार पर पीएफआरडी द्वारा तीन निधि प्रबंधकों के बीच निधियाँ आवंटित की जाती है। वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान सरकारी कर्मचारियों का एनपीएस के अंतर्गत प्रतिलाभ 6.91% रहा है। योजना को आरंभ किए जाने से लेकर अब तक सरकारी कर्मचारियों के संबंध में नई पेंशन योजना (एनपीएस) का प्रतिलाभ 9.33% है। ये प्रतिलाभ विभिन्न आस्ति वर्गों अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों, कॉर्पोरेट ऋण लिखतों , धन बाजार लिखतों और एक्विटी मार्केट में कॉर्पस के निवेश की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर है। वित्तीय वर्ष 2021 -22 के दौरान एनपीएस का प्रतिलाभ अधिकांश ऋण लिखत से बेहतर रहा है।

एनपीएस के निवेश के दिशानिर्देश पेंशन विनियामक और विकास प्राधिकरण (पीएफआरडीए) द्वारा तैयार किए जाते हैं और पर्याप्त सुरक्षोपाय को ध्यान में रखते हुए इन दिशानिर्देशों को तैयार किया गया है। पीएफआरडीए में पंजीकृत पेंशन निधि प्रबंधक एनपीएस के अंतर्गत विभिन्न आस्ति वर्गों अर्थात सरकारी प्रतिभूतियों, कॉरपोरेट ऋण लिखत, मुद्रा बाजार लिखत, इक्विटी बाजार आदि में निवेश पीएफआरडीए द्वारा जारी दिशानिर्देशों और इनमें किए गए संशोधनों के अनुसार करते है। पेंशन निधि द्वारा निवेश इस प्रकार से किया जाता है कि दीर्धकालिक अवधि में निवेशक बेहतर प्रतिलाभ प्राप्त हो।

केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों के लिए एनपीएस को युक्तिसंगत बनाने हेतु भारत सरकार ने कई कदम उठाए हैं। इनमें सरकारी अंशदान को पूर्व के वेतन का 10% +मंहगाई भत्ता से बढाकर वेतन का 14% + मंहगाई भत्ता किया जाना, अभिदाताओं को पेंशन निधि के चयन न करने और निवेश पद्धति की स्वतंत्रता, 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस योगदान जमा न करने या विलंबित जमा के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट, एकमुश्त निकासी के लिए पूर्व के 40% कर छूट सीमा को बढाकर 60% किया जाना जिससे संपूर्ण आहरण पर आयकर छूट प्राप्त हो, शामिल है।

(ग): पेंशन निधि की निगरानी पीएफआरडीए द्वारा की जाती है और ये विनियमों द्वारा समय-समय पर लेखापरीक्षा और निरीक्षण करने के लिए बाध्य हैं। निधि प्रबंधकों के विरूद्ध शिकायत की स्थिति में, इस पर पीएफआरडीए के दिशानिर्देशों के अनुसार कार्रवाई की जाती है।

(घ) और (ङ): एनपीएस की समग्र संरचना ऐसी है कि एनपीएस के तहत लाभ निकासी के समय अंशधारक की संचित मूल निधि पर निर्भर करता है। अंशधारकों के हितों की रक्षा के लिए, सरकार ने वर्ष 2019 में सरकारी अंशदान को पूर्व के वेतन का 10% +मंहगाई भत्ता से बढाकर वेतन का 14% + मंहगाई भत्ता कर दिया, अभिदाताओं को पेंशन निधि दी गई और निवेश के चयन की स्वतंत्रता दी गई 2004-2012 के दौरान किसी भी अवधि के लिए एनपीएस योगदान जमा न करने या विलंबित जमा के लिए मुआवजे का भुगतान, आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80सी के अंतर्गत कर छूट, एकमुश्त निकासी के लिए पूर्व के 40% कर छूट सीमा को बढाकर 60% किया जाना जिससे संपूर्ण आहरण पर आयकर छूट प्राप्त हो।

*****